सं० ओ०वि०/अम्बा०/87-86/42805.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ओपटीलेब इन्जीनियर्ज जगाधरी रोड़, अम्बाला छावनी, के श्रमिक श्री सुशील कुमार शर्मा, मार्फत श्री इन्द्रसैन बंसल छता नालागढ़िया जगाधरी (अम्बाला) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०-3(44)84-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सुशील कुमार शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/सोनीपत/33-86/42811.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० रबड़ रिकलेम कम्पनी आफ इण्डिया प्रा० लि०, बहालगढ़, सोनीपत, के श्रमिक श्री भगवती प्रसाद, टोकन नं० 779 मार्फत केमीकल वर्कर्ज यूनियन, (सीटू), सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री भगवती प्रसाद, टोकन नं० 779 की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० सोनीपत/32-86/42818.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० रबड़ रिकलेम कम्पनी आ० इण्डिया प्रा० लि०, बहालगढ़, सोनीपत के श्रमिक श्री हरि सिंह मार्फत केमीकल वर्कर्ज यूनियन (सीटू), सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री हरि सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 5 नवम्बर, 1986

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/86-86/41441.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० फरीदाबाद आटो इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, प्लाट नं० 63, सैक्टर 6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री जय भगवान, पुत्र श्री हर नारायण सिंह, मार्फत श्री एच० एल० रंगा मकान नं० 137-बी लक्ष्मी गार्डन गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित

औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है:—

क्या श्री जय भगवान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/91-86/41448.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० इम्प्रेस एण्ड इन्सुलेशन कारपोरेशन, 19/6, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री श्रीराम दहिया, पुत्र श्री कंनी राम, गांव गैलपुर, पलवल, जिला फरीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री श्रीराम दहिया की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि. /एफ०डी०/176-86/41455.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० अपोलो रबड़ क्राफ्ट, 15/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्रीमती उर्मिला देवी, पत्नी केदार नाथ शिवपुरी कालोनी झुग्गी नं० 36 तजदीक बड़खल मोड़ फरीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्रीमती उर्मिला देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/28-86/41462.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० मैनेजिंग डायरेक्टर, हरियाणा राज्य एम० आई० टी० सी० चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता, आर० मण्डल नं० 1 एम० आई० टी० सी०, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सज्जय सिंह, पुत्र श्री मेला राम मार्फत श्री प्रदीप शर्मा, 39, निशान हट एन० एच० फरीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री सज्जन सिंह, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 12 नवम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/31-85/42825.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं रबड़ रिकलेम कम्पनी आफ इण्डिया, प्रा० लि०, बहालगढ़, सोनीपत के श्रमिक श्री श्री राम मार्फत कैमिकल वर्कर्ज यूनियन (सीटू), सोनीपत तथा उसके प्र बन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री श्री राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० अम्बाला/83-86/42832.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भूपिन्द्रा सिमेन्ट वर्कस, सुरजपुर (अम्बाला) के श्रमिक श्री बालक राम, पुत्र श्री मिन्शी राम, गांव राजीपुर, डा० बी. सी. डब्ल्यु., सुरजपुर (अम्बाला), तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बालक राम, पुत्र श्री मिन्शी राम, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

[सं. ओ. वि. अम्बाला/85-86/42839.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भूपिन्द्रा सीमेन्ट वर्कस, सुरजपुर (अम्बाला) के श्रमिक श्री राज कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री सीता राम, गांव राजीपुर, डा० बी. सी. डब्ल्यू, सुरजपुर (अम्बाला) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राजकुमार, पुत्र श्री स्वर्गीय सीता राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/84-86/42846.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भूपिन्द्रा सीमेन्ट वर्कस, सुरजपुर (अम्बाला) के श्रमिक श्री हरपाल सिंह, पुत्र मस्त राम, गांव लोहगढ़, डा० बासोल बाया पिंजोर (अम्बाला) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा

मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री हरपाल सिंह, पुत्र श्री मस्त राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

दिनांक 7 नवम्बर, 1986

सं. ओ. वि./एफ.डी/144-86/41860—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० इण्डियन हार्डवियर इण्डस्ट्रीज लि० हार्डवियर चौक एन. आई. टी., फरीदाबाद के महासचिव इण्डियन हार्डवियर इण्डस्ट्रीज वर्करज यूनियन 1-ए/119, एन. आई.टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामले हैं। न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

(1) क्या संस्था के सभी कामगार वर्ष 1985-86 का बोनस 20 प्रतिशत के हिसाब से लेने के हकदार बनते हैं ? यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत बोनस के हकदार बनते हैं और किस विवरण में ?

(2) क्या रात की शिफ्ट में काम करने वाले कामगारों को रात भत्ता मिलना चाहिये ? यदि हां, तो कामगार किस राहत के हकदार हैं ?

कुलवन्त सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

22405 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.